

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 04/2020

निर्णय दिनांक —10.06.2020

1. हुमा पत्नि मुबारीक खान जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी उदयपुर जिला उदयपुर राज0 ।
2. जुलेखा पत्नि अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी उदयपुर जिला उदयपुर राज0 ।  
— प्रार्थीगण

// बनाम //

1. रामेश्वर पिता नंदरामजी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. भंवरलाल पिता नंदरामजी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. प्रेमबाई पुत्री नंदरामजी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. सोहनी बेवा नंदरामजी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

—विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सांड पटवार हल्का कारुण्डा तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 268 की आराजी नं0 790 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, आराजी नं0 796 रकबा 0.3200 हेक्टेयर आराजी नं0 797 रकबा 0.7600 हेक्टेयर आराजी नं0 798 रकबा 0.7600 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.6000 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा सांड पटवार हल्का कारुण्डा तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 268 की आराजी नं0 790 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, आराजी नं0 796 रकबा 0.3200 हेक्टेयर आराजी नं0 797 रकबा 0.7600 हेक्टेयर आराजी नं0 798 रकबा 0.7600 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.6000 हेक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

